ASSENT TO BILLS

SECRETARY: Sir, I lay on the Table following two Bills passed by the Houses of Parliament during the current session and assented to since a report was last made to the House on the 2nd May, 1979:—

1 The Appropriation (No. 3) Bill, 1979.

2. The Merchant Shipping (Amendment) Bill, 1979.

12.42 hrs.

CALLING ATTETION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED DEMONSTRATION BY RAILWAY EMPLOYEES TO PRESS THEIR DEMANDS FOR BONUS.

श्रीमती मृणाल गोरे (बम्बई–उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर रेल मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और प्रार्थना करती हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"अखिल भारतीय रेल कर्मचारियों द्वारा बोनस की अपनी मांग के समर्थन में किए गए प्रदर्शन के समाचार।"

12.43 hrs

[MR DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : कुछ समय पहले से रेल कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों द्वारा विविध मंचों से बोनस की मांग उठायी गयी है। नयी दिल्ली में आल इंडिया रेलवेमैन फैडरेशन द्वारा रेल कर्मचारियों को बोनस दिये जाने की अपनी मांग मनवाने के लिए 7 मई को और भारतीय रेल मजदूर संघ द्वारा मान्यता के साथ-साथ बोनस दिये जाने के प्रश्न पर 8 मई को प्रदर्शन किये गये।

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंद्ध नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवे मैन ने 25 मार्च, 1979 को हुई अपनी कार्यकारिणी की बैठक में हड़ताल का बैलट लेने के बाद एक प्रस्ताव पारित किया और अपनी सभी संबंद्ध यूनियनों को निर्देश दिया कि वे पहली मई, 1979 को बोनस और अन्य मांगो के प्रश्न पर अपने-अपने क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को 31 मई, 1979 की मध्य रात्रि से पूर्ण हड़ताल पर जाने का नोटिस दे दें। लेकिन, 29 अप्रैल, 1979 को पारित एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन ने हड़ताल की अपनी योजना को जुलाई, 1979 के अन्त तक के लिए स्थगित कर दिया है।

आल इंडिया रेलवेमैन फैडरेशन ने अपनी जनरल कांउसिल मिटिंग में 9 मई, 1979 को निर्णय किया है कि अगस्त, 1979 के अन्त तक हड़ताल के मतदान का काम पूरा कर लिया जाये और यदि इस बीच सरकार बोनस के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं लेती तो उसके बाद आगे की कार्यवाही के बारे में निर्णय लेने के लिए उनकी कार्यकारी की समिति की बैठक की जायेगी।

आल इंडिया रेलवे एम्पलाइज कानफैडरेशन ने, जो मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है, बोनस की मांग सहित एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है। इस संगठन ने अब तक 8 मई, 1979 के 00 00 बजे से "नियमानुसार कार्य" करने का आन्दोलन शुरू कर दिया है।

रेल कर्मचारियों की दो मान्यता प्राप्त फैडरेशन—आल इंडिया रेलवेमैन फैडरेशन और नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन तथा भारतीय रेलवे मजदूर संघ इस आन्दोलन में भाग नहीं ले रहे हैं। मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि कोई गंभीर घटनाएं नहीं हुई हैं जिनकी वजह से रेलों के परिचालन पर तुरत प्रभाव पड़ा हो और सभी क्षेत्रीय रेलों पर स्थिति लगभग सामान्य है। सरकार ने यात्री तथा माल दोनों प्रकार की गाड़ियों के सामान्य संचालन को बनाये रखने के लिए सभी संभव उपाय कर लिये हैं।

जहां तक बोनस का प्रश्न है, माननीय सदस्यों को मालूम है कि वेतन, आय और मूल्य से संबंधित अध्ययन दल की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों तथा रेलवे जैसे सरकारी उद्यमों के कर्मचारी को बोनस दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक मंत्री-मंडलीय उपसमिति को कहा गया था। इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा आगे विचार किया जा रहा है।

मैं रेल कर्मचारियों की यूनियनों पर यह जोर देता आ रहा हूं कि रेल कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए इसके व्यापक विवक्षितार्थ को देखते हुए, सरकार को पर्याप्त समय दिये जाने की आवश्यकता है। विभिन्न मांगों का वार्ता द्वारा निपटारा करने का द्वार हमेशा खुला है। विगत दो वर्षों के दौरान कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के माध्यम से रेल कर्मचारियों के अनेक वर्गों को फायदा पहुंचाने वाले बहुत से निर्णय किये गये हैं। जिन पर 125 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आयेगी। बोनस का प्रश्न भी इसी तरह कोई ऐसी कार्यवाही किये बिना, जिससे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का तथा फलस्वरूप रेल कर्मचारियों के हितों का भी नुकसान हो, वार्ता द्वारा सुलझाया जा सकता है।